उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 (36)

संख्या बी-3-2097/दस-84-2 (41)-77-मो0 स0

लखनऊ, दिनांक 23 मई, 1984

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-4326/दस-81-2 (41)-77 मो0 सं0, दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप भवन निर्माण/ क्रय/मरम्मत हेतु गत वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित की गई है:--

1--प्रथम 25,000 रुपये के लिये	10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
2--अगले 25,000 रुपये यानी 25001 रु0 से 50,000 रुपये के लिये	12.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
3--अगले 50,000 रुपये पर यानी 50,001 रु0 से 1,00,000 रुपये तक	14.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष

इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किये जाने वाले उपरोक्त अग्रिमों पर ब्याज की निम्न-लिखित दरें अन्तिम रूप से निर्धारित की गई है:--

1--प्रथम 25,000 रुपये के लिये	10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
2--अगले 25,000 रुपये यानी 25,001 रु0 से 50,000 रुपय के लिये	12.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
3--अगले 25,000 रुपये यानी 50,001 रु0 से 75,000 रु0 के लिये	14.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष
4--अगली शेष राशि यानी 75,001 रु0 से अधिक की शेष राशि पर	15.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष

किन्तु नियत समय पर अग्रिम/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में स्वीकृत अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज की दरों पर भी लागू रहेगी। उक्त अग्रिमों पर अपेक्षाकृत ,अधिक ब्याज वाले अग्रिम का समायोजन पहले किया जायेगा।

2--इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि अखिल भारतीय सेवा के राज्य संवर्ग के अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु स्वीकृत अग्रिमों पर भी उपरोक्त दरों के अनुरूप ही, ब्याज की गणना की जायेगी।

3--मोटर कार/मोटर सायकिल/स्कूटर तथा बाईसकिल अग्रिमों पर देय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

डी0 एन0 वर्मे
संयुक्त सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी-3-2097 (1)/दस-84-2 (41)-77-मो0 स0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--समस्त विभागाध्यक्ष, जिला जज एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इलाहाबाद व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ, लखनऊ।
3--विधान सभा सचिवालय।
4--विधान परिषद सचिवालय।
5--राज्यपाल सचिवालय।
6--निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

डी0 एन0 वर्मे
संयुक्त सचिव।